

कार्यालय उप जिला मजिस्ट्रेट हापुड।

संख्या ३००/अह०माल—उ०जि०म०/हापुड/2019

दिनांक: ५—०७—२०१९

पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र

तहसीलदार हापुड की जॉच आख्या दिनांक 04—07—2019 के आधार पर प्रमाणित किया जाता है स्व० श्री योगेन्द्र कुमार अग्रवाल पुत्र श्री बालकिशन अग्रवाल निवासी समर्थ सदन मानिक चौक अलीगढ़ हाल निवासी म०न० ९ विवेक विहार फीरांज रोड हापुड तहसील व जिला हापुड की मृत्यु दिनांक ०९—०६—२०१९ को हो चुकी है। तहसीलदार हापुड की जॉच आख्या के आधार पर मृतक के निम्नलिखित वारिसान तसदीक किये जाते हैं:-

क०स०	मृतक के पारिवारिक सदस्यों के नाम	मृतक से सम्बन्ध	आयु वर्ष	विवरण
1	नीलम अग्रवाल	पत्नी	60	विधवा
2	रोहित अग्रवाल	पुत्र	35	विवाहित
3	प्रिया अग्रवाल	पुत्री	33	विवाहित
4	हिमांशी अग्रवाल	पुत्री	21	विवाहित

उपरोक्त के अतिरिक्त अन्य कोई वारिसान तसदीक नहीं किया गया है।

1—यह प्रमाण—पत्र गर्वमेन्ट सिक्यूरिटीज मैनुअल के प्रस्तार—66(ब) के साथ पठित इण्डियन सिक्यूरिटीज एक्ट सन् 1920 के प्रस्तर 13(2) के अन्तर्गत विहित प्राविधानों के अनुसार मात्र केवल ₹० 5,000(पाँच हजार) तक के भुगतान सम्बन्धी मामलों में ही मान्य हैं।

2—किसी भी रस्ते पर शपथ पत्र में अंकित तथ्यों एवं प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों अथवा किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन होने या तथ्य छिपाये जाने पर प्रमाण—पत्र स्वतः ही शून्य माना जायेगा।

3—₹० 5,000(पाँच हजार) से अधिक की धनराशि के भुगतान/सेवा के किसी प्रकार के प्रयोजन हेतु यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा, अपितु इसके लिये सक्षम न्यायालय से सम्बन्धित को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी कराना अनिवार्य होगा। जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) हापुड की आख्या दिनांक 03—10—2018 का अभिन्न अंग रहेगी।

तहसीलदार

हापुड।

(सत्यप्रकाश)

उप जिला मजिस्ट्रेट

९ उप जिला मजिस्ट्रेट
हापुड

